सं0 14034/8/2015-राभा(प्रशि)

भारत सरकार

BHARAT SARKAR

गृह मंत्रालय

GRIH MANTRALAYA

राजभाषा विभाग

RAJBHASHA VIBHAG

नई दिल्ली-1, दिनांक ~~सितंबर 2016~~ 4-10-2016

4337
14/10/16

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित किए जाने वाली हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षा में अनुर्तीण होने पर मांगे जाने वाले स्पष्टीकरण के बारे में ।

उपरोक्त विषय पर केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान अपनी दिनांक 19 दिसंबर 2014 की टिप्पणी संख्या 4401/निदेशक (केहिप्रसं) का अवलोकन करने का कष्ट करें ।

2. प्रसंगित विषय के संबंध में सूचित करना है कि हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण संबंधी परीक्षा पर विचार किया गया । समिति की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न प्रकार मंजूरी प्रदान कर दी है:-

(i) ऐसे कार्मिक/प्रशिक्षार्थी, जिनकी प्रशिक्षण कक्षाओं में 75 प्रतिशत या इससे अधिक की उपस्थिति है, यदि हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं तो उन्हें दोबारा प्रशिक्षण हेतु कक्षाओं में नामित नहीं किया जाएगा परंतु वे दोबारा परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं ।

(ii) ऐसे कार्मिक/प्रशिक्षार्थियो को हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित परीक्षा को 15 महीने की अवधि के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा ।

(iii) यदि ऐसे कार्मिक/प्रशिक्षार्थी 15 महीने से अधिक की अवधि के पश्चात परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो उन्हें परीक्षा शुल्क स्वयं वहन करना होगा ।

3. केद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान से अनुरोध है कि वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की मंजूरी को सभी संबंधित विभागों/कार्यालयों के ध्यान में लाने का कष्ट करें ।

(विजय कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार

13/10/16

सेवा में

निदेशक,
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,
सातवां तल, पर्यावरण भवन,
सी.जी. ओ काम्पलैकस, लोधी रोड
नई दिल्ली-11003

14/10/2016

22011/259/2014-के.हि.प्र.सं./P-I